

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/विजांच/11116/ ए-97/19/3 दिनांक 21.02.2013 द्वारा सुश्री अमिता गोयल प्रधानाचार्य राउमावि कुचावटी-डीग, भरतपुर के सम्बन्ध में जिला कलेक्टर भरतपुर द्वारा जारी निलम्बन आदेश दिनांक 18.02.2019 की पुष्टि की गई थी। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील संख्या 1529/19 की वरवक्त सुनवाई दिये गये निर्देशों की अनुपालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक:- शिविरा/माध्य/विजांच/11500/34/19/243 दिनांक 30.10.19 द्वारा उक्त दोनों आदेश दिनांक 18.02.2019 एवं 21.02.2019 को रिवॉक किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुचावटी-डीग, भरतपुर में श्री मान सिंह सैनी कार्यरत हैं। उक्त रिवॉक आदेश दिनांक:- 30.10.2019 के फलस्वरूप राउमावि, कुचावटी-डीग, भरतपुर में दोहरे प्रधानाचार्य कार्यरत होने स्थिति उत्पन्न हुई है।

राउमावि, कुचावटी-डीग भरतपुर में पूर्व में हुई तालाबन्दी एवं विवाद के मध्यनजर सुश्री अमिता गोयल, प्रधानाचार्य का समायोजन तत्काल प्रभाव से राउमावि, बैरु, भरतपुर किया जाता है। सुश्री गोयल को उक्त समायोजन पर नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।


(नथमल डिडेल)

आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक:- 07/11/2019

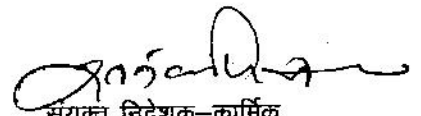
क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधानाचार्य/स्था./2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही/ पालनार्थ प्रेषित है :-

1. जिला कलेक्टर, भरतपुर।
2. वशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
4. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।

5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

6. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
7. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक।
8. सहायक निदेशक, विभागीय जांच को आगामी कार्यवाही हेतु।
9. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
10. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग, कार्यालय हाजा।
11. सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी को पालनार्थ।
12. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक-कार्मिक